



प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से डीजल अनुदान के लिए क्रियान्वयन अनुदेश

सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ 25 दिनों में किसानों के बैंक खाते में

वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत खरीफ तथा रबी मौसम के फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।



1. योजना का लाभ :

- 1.1 दिनांक 30.10.2018 तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 400 रुपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा।
- 1.2 यह अनुदान धान का बिचड़ा, जूट फसल की 2 सिंचाई के लिए 800 रुपये प्रति एकड़ तथा धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की 3 सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
- 1.3 दिनांक 1 नवम्बर, 2018 से 7 मार्च, 2019 तक रबी फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 400 रुपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा।
- 1.4 यह अनुदान गेहूँ की 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 1200 रु० प्रति एकड़ एवं अन्य रबी फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे हेतु 2 सिंचाई के लिए अधिकतम 800 रु० प्रति एकड़ की दर से दिया जाएगा।
- 1.5 इस योजना का लाभ ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

2. अनुदेश :

- 2.1 वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है, वे सीधे डीजल अनुदान के लिए www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- 2.2 डीजल अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।



3. ऑनलाईन पंजीकरण की विधि :

- 3.1 वैसे किसान, जिनका मोबाईल संख्या आधार से जुड़ा हो, वे घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाईन पंजीकरण कर, डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा किसान, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र / सहज / वसुधा केंद्र से भी सम्पर्क कर निःशुल्क ऑनलाईन पंजीकरण कराने के साथ-साथ डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 3.2 वैसे किसान, जो dbtagriculture.bihar.gov.in पर पूर्व से पंजीकृत हैं, उन्हें फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे डीजल अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। वैसे किसान, जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, वे ऑनलाईन पंजीकरण के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध “पंजीकरण” मेनू पर क्लिक कर “पंजीकरण करें” मेनू का चयन करेंगे।
- 3.3 ऑनलाईन पंजीकरण अथवा आवेदन करने के लिए किसान के पास अपना मोबाईल नम्बर, आधार संख्या और **आधार से जुड़े बैंक खाता का होना अनिवार्य है।** पंजीकरण के समय किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन का विवरण (थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा आदि) लाना अनिवार्य होगा।
- 3.4 कॉमन सर्विस केंद्र / सहज / वसुधा केंद्र के ऑपरेटर, आधार कार्ड में अंकित जानकारी के अनुसार ही आवेदन में किसान का नाम और किसान के पिता / पति का नाम भरेंगे।
- 3.5 किसान से आधार संख्या के उपलब्धता की जानकारी हाँ / नहीं में ली जाएगी। आधार संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वेबसाइट, किसान को उनके नजदीकी आधार पंजीकरण केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराएगी। आधार संख्या के उपलब्धता की स्थिति में किसान को अपना आधार संख्या अंकित करना होगा।
- 3.6 किसान का आधार सत्यापन तीन तरीके से किया जाएगा। वैसे किसान, जो घर से स्वयं पंजीकरण कर रहे हैं, उनका सत्यापन ओ०टी०पी० के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए किसान को 12 अंकों का आधार संख्या की प्रविष्टि करनी होगी। सहज / कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा पंजीकरण कराने की स्थिति में सत्यापन बायोमेट्रिक अथवा आई०आर०आई०एस० डिवाईस के माध्यम से किया जाएगा।
- 3.7 सत्यापन सही होने की स्थिति में पंजीकरण के लिए प्रदर्शित अनिवार्य वांछित प्रविष्टियों में किसान की व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार कार्ड में अंकित किसान का नाम, पिता / पति का नाम, लिंग, कृषक श्रेणी (वृहत् / लघु / अन्य में से कोई एक), जाति प्रकार (सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक में से कोई एक), जिला / प्रखंड / पंचायत / गाँव का नाम, अपना मोबाईल संख्या और बैंक विवरणी (बैंक / शाखा का नाम और आई०एफ०एस०सी० कोड) प्रविष्ट करेंगे। ध्यान रहे कि बैंक विवरणी आधार से जुड़ा हो अन्यथा अनुदान की राशि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी।
- 3.8 अनिवार्य जानकारी प्रविष्टि करने के उपरांत किसान **सबमिट बटन** पर क्लिक करेंगे। **सबमिट बटन** क्लिक करते ही किसान के मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से ओ०टी०पी० भेजा जाएगा, जिसे किसान अपने पंजीकरण आवेदन में प्रविष्ट कर **रजिस्टर बटन** पर क्लिक करेंगे।
- 3.9 ओ०टी०पी० सही होने की स्थिति में किसान के मोबाईल



पर पंजीकरण सक्सेस के साथ 13 अंकों की पंजीकरण संख्या एस०एम०एस० के माध्यम से भेजा जाएगा।

4. ऑनलाईन आवेदन की विधि :

- 4.1 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध "अनुदान के लिए आवेदन" मेनू पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि "डीजल अनुदान" का चयन करेंगे।
- 4.2 डीजल अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ-साथ आवेदन प्रपत्र "डिस्प्ले" किया जाएगा।
- 4.3 किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/सहज/वसुधा केंद्र से ऑनलाईन डीजल अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाइल/लैपटॉप से डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 4.4 डीजल अनुदान आवेदन के लिए सर्वप्रथम किसान मौसम का चयन (खरीफ/रबी) करेंगे, फसल के प्रकार (बिचड़ा, जूट, धान, मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी, सुगन्धित एवं औषधीय पौधे में से एक फसल) का चयन करेंगे और कुल जमीन की प्रविष्टि करेंगे।
- 4.5 किसान एक बार में एक अथवा एक से अधिक परन्तु अधिकतम सीमा तक पटवन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फसलवार अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- 4.6 किसान को तीन श्रेणियों (स्वयं, बटाईदार, स्वयं + बटाईदार) में बाँटा गया है। किसान किसी एक श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
 - 4.6.1 "स्वयं" की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम प्रविष्ट करेंगे तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
 - 4.6.2 "बटाईदार" किसान थाना नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
 - 4.6.3 "स्वयं + बटाईदार" किसान को "स्वयं" के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम और साथ-ही-साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करना होगा।
- 4.7 डीजल पावती रसीद अपलोड करने के पूर्व क्रय किये गये डीजल का मूल्य, पेट्रोल पम्प का नाम एवं प्रखण्ड तथा पावती रसीद का क्रम संख्या और दिनांक भी अंकित करना अनिवार्य है।
- 4.8 किसान द्वारा दिये गए कुल सिंचित रकवा के अनुसार ही कुल अनुदान की राशि का निर्धारण होगा, जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।
- 4.9 अनिवार्य जानकारी की प्रविष्टि करने के उपरांत किसान आवेदन में नीचे दिये गए शपथ-पत्र का चयन करेंगे और "नेक्स्ट बटन" पर क्लिक करेंगे। किसान के सामने एक नया जाँच पेज खुलेगा। यदि किसान ने अनिवार्य दस्तावेज अपलोड किया है तो जाँच पेज पर उपलब्ध बटन हरे रंग में दिखाई देगा और किसान जाँच की पुष्टि कर "अंतिम सबमिट" बटन पर क्लिक करेंगे अन्यथा जाँच बटन काले



रंग में दिखाई देगा, जो यह संकेत देगा कि अनिवार्य दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है और आवेदन पूर्ण नहीं है। “अंतिम सबमिट बटन” पर क्लिक करते ही किसान को एस०एम०एस० के माध्यम से मोबाइल पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी और आवेदन स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन के लिए ऑनलाईन भेज दिया जाएगा।

- 4.10 **कुल रकवा का विवरण किसान डिसमिल में अंकित करेंगे (1 एकड़ = 100 डिसमिल)।**
- 4.11 किसान www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध “आवेदन प्रिन्ट करें” का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- 4.12 किसान कभी भी वेबसाईट पर जाकर जमा किये गये आवदेन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- 4.13 आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम दी जाएगी।

5. आवेदन की स्वीकृत करने की प्रक्रिया :

- 5.1 जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, उसी समय आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जायेगा। कृषि समन्वयक 10 दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे।
- 5.2 कृषि समन्वयकों द्वारा अस्वीकृत या अनुशंसा की सूचना भी एस०एम०एस० के माध्यम से किसानों को दी जायेगी।
- 5.3 अगर कृषि समन्वयकों द्वारा 10 दिनों के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित हो जायेगी।
- 5.4 जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंडवार डीजल अनुदान स्वीकृत करने के पूर्व एक सामान्य आदेश जिला पदाधिकारी से जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे।
- 5.5 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित सभी आवेदनों की जाँच 7 दिनों के अंदर कर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करने की अनुशंसा राज्य सरकार को करेंगे।
- 5.6 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना किसान को उनके मोबाइल पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जायेगी।
- 5.7 अगर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा 7 दिनों के अंदर आवेदन राज्य सरकार को अग्रसारित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और स्वतः आवेदन स्वीकृत होते हुए भुगतान हेतु कृषि विभाग को अग्रसारित हो जायेगा और कृषि विभाग 2 दिनों के अंदर भुगतान की अनुशंसा बैंक को कर देंगे।
- 5.8 बैंक को आवेदन भेजने के अगले दिन भुगतेय राशि किसान के खाते में अन्तरित हो जायेगी, जिसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से किसान को दी जायेगी।
- 5.9 जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से समय—समय पर किसानों को ऑन—लाईन पंजीकरण एवं आवेदन समर्पित करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा व्यापक प्रचार—प्रसार की व्यवस्था करेंगे।

किसान भाई/बहन से अनुरोध है कि पर्याप्त वर्षा नहीं होने की स्थिति में डीजल चालित पम्पसेट से सभी फसलों की सिंचाई करें।